शिक्षा की लागत (Cost of Education) की गणना हेतु कार्यकारी सिद्धान्त (Executive Principles)

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार शुल्क की समीक्षा हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनॉक 29.9.2012 को आयोग कार्यालय में किया गया, जिसमें शिक्षा की लागत (Cost of Education) की गणना हेतु कार्यकारी सिद्वान्तों (Executive Principles) पर विचार किया गया। इन सिद्धान्तो के निर्धारण हेतु निम्नलिखित को आधार बनाया गया :–

1. **मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के प्रावधान।**
2. **माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय** – Unnikrishnan JP v/s state of A.P. में पारित निर्णय दिनांक 8.2.1993 एवं Islamic Academy of Education and Another v/s state of Karnataka and others. के साथ सहयोजित विभिन्न याचिकाओं आदि पर निर्णय दिनॉक 14.8.2003, तथा,
3. मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के Resolution कमांक F20-43/96 Desk (U) दिनांक 18.3. 1997 द्वारा, ऐसी निजी संस्थाओं, जिन्हें अनुदान प्राप्त नहीं होता (Private unaided Institution) द्वारा संचालित उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा आदि पाठ्यकमों के लिए शुल्क के निर्धारण हेतु जारी नीतिगत मागर्दशन (Policy guidelines)।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा (10) (ख) में निहित प्रावधानों के पालन में प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों में निर्धारित शुल्क की समीक्षा हेतु समिति की बैठक दिनांक 29.9.2012 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित कार्यकारी सिद्वांत (Executive Principles) बनाये गये :–

(1) शिक्षा की लागत की गणना पाठ्यकमवार (Coursewise) की जाएगी एवं इस हेतु निजी विश्वविद्यालयों के निम्नलिखित तीन मुख्य मदों में समस्त व्यय शामिल किये जावेंगे।

(अ) निजी विश्वविद्यालय की परिचालन लागत।

(ब) प्रायोजी संस्था से प्राप्त की गई एवं स्वयं सृजित की गई स्थाई सम्पत्तियों पर ह्रास (depreciation) (आस्तियों के संधारण हेतु व्यय)।

(स) उन्नयन एवं भावी विस्तार हेतु यथोचित राशि।

(2) निजी विश्वविद्यालय की परिचालन लागत : इसके अंतर्गत व्यय की निम्नलिखित उप मदें शामिल की जावेंगी।

(क) शिक्षकों को वेतन, भत्ते, बोनस तथा सुविधायें।

(ख) प्रशासकीय सेवाओं पर व्यय।

(ग) अशैक्षणिक कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, बोनस तथा सुविधायें।

(घ) प्रयोगशालाओं में रख–रखाव लागतें तथा उपयोजित सामग्री।

(ड) आकस्मिक व्यय (जैसे:–कानूनी व्यय एवं शुल्क का 1% विनियामक आयोग में जमा आदि)

(च) पुस्तकालय में किताबों तथा जर्नलस् पर पूंजी व्यय की आंशिक लागत (Partial Capital cost) तथा आवर्ती व्यय।

(छ) विश्वविद्यालय के स्वामित्व के भवन/अन्य सम्पत्तियों का रखरखाव/मरम्मत/किराया/शुल्क।

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज।

विशेष:-परिचालन लागतों में शिष्यवृत्ति (स्कॉलरशिप)/पुरस्कार की राशि शामिल नहीं की जावेगी।

(3) आस्तियों के संधारण हेतु व्यय (ह्रास) (Depreciation) :–

(अ) प्रायोजी संस्था से प्राप्त की गई स्थायी सम्पत्तियां एवं स्वयं सृजित स्थायी सम्पत्तियां पृथक–पृथक अनुसूची में दर्शायी जावेंगी। इन अनुसूचियों में सम्पत्ति का प्रारम्भिक शेष + वर्ष के प्रथम छः माह में प्राप्त/सृजित सम्पत्ति+वर्ष के बाद के छः माह में प्राप्त/अर्जित सम्पत्ति (–) प्रभावी ह्रास (Effective Depreciation) = सम्पत्ति का अंतिम शेष दर्शाया जाना चाहिये।

(ब) निजी विश्वविद्यालय में स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रॉस उन सम्पत्तियों पर, जिन्हें प्रायोजी संस्था ने निजी विश्वविद्यालय के नाम पर उसके स्वामित्व में अंतरित कर दिया है, पर आगणित होगा। अन्यथा, यदि उन्हें प्रायोजी संस्था से ऋण पर प्राप्त किया गया है तो संपत्ति की लागत का बैक की प्रभावी दर से ह्रास के स्थान पर ब्याज स्वीकृत किया जावेगा एवं उसका भुगतान अधिनियम की धारा 13 (झ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विकास शुल्क के रुप में किया जा सकेगा, परन्तु ऐसी राशि की वसूली विद्यार्थियों से नहीं की जा सकेगी। तथापि इस स्थिति में प्रयोजी संस्था का यह दायित्व होगा कि वह उस संपत्ति का रखरखाव करें, जिसकी लागत पर उसके द्वारा ब्याज की राशि प्राप्त की जा रही है। अतः विश्वविद्यालय को ऐसी संपत्ति के रख रखाव हेतु कोई व्यय स्वीकृत नहीं होगा।

(4) उन्नयन एवं भावी विस्तार हेतु उचित राशि (विकास शुल्क)

यह राशि परिचालन लागत के 10% से अधिक नहीं होगी। प्रथम वर्ष में यह राशि प्रावधानित कर दी जाएगी, तथापि आगामी वर्षो के लिए विश्वविद्यालयों को इस हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

विकास शुल्क (Development fees) का पृथक खाता (Ledger/Accounts) होगा एवं तुलन पत्रक/चिठ्ठा (Balance Sheet) में भी इसे पृथक शीर्ष (Head) के रुप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

(i) विश्वविद्यालय द्वारा केवल दो शीर्षों के अन्तर्गत शुल्क की वसूली की जाएगी –

(अ) शिक्षण शुल्क (जो परिचालन लागत के समतुल्य होगी, और

(ब) विकास शुल्क (जो ह्रास (Depreciation) + शिक्षण शुल्क के 10 प्रतिशत की राशि के योग के बराबर होगा)।

(ii) शिक्षा की लागत की गणना प्रत्येक पाठ्यक्रमों में कुल स्वीकृत विद्यार्थी संख्या (Sanctioned intake) के आधार पर होगी।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रक्षेपित (Projected) शुल्क प्रांते वर्ष, उस बैच के पूरे पाठ्यक्रम की पूरी अवधि हेतु होगी।

(iv) संयुक्त व्ययों का पाठ्यक्रमवार अविभाजन (aportionment) निजी विश्वविद्यालय युक्ति संगत ढंग से करेंगे।

(v) इस प्रारूप को सभी निजी विश्वविद्यालयों को प्रेषित किया जावेगा। इस प्रारूप में निजी विश्वविद्यालय अपने विश्श्वविद्यालयों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। यह जानकारी विश्वविद्यालय के सी.ए. द्वारा प्रमाणित होगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा शपथ पत्र पर सत्यापित करते हुए आयोग को प्रस्तुत की जावेगी।

(vi) अस्पष्ट/भ्रम पूर्ण या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी ही उत्तरदयी होगें।

(vii) प्रस्तुत जानकारी के सम्बंध में स्थिति को अधिक स्पष्ट करने के लिए समिति/आयोग यथोचित कार्यवाही करेगा।

(viii) संयुक्त व्ययों का पाठ्यक्रमवार अविभाजन (aportionment) निजी विश्वविद्यालय युक्ति संगत ढंग से करेंगें।

(ix) शुल्क की अंतिम समीक्षा समिति द्वारा कुलपति/कुलसचिव, वित्त अधिकारी/ सी.ए. के साथ आयोजित बैठक के उपरान्त की जाएगी।

(x) प्रत्येक विश्वविद्यालय का अंतिम समीक्षा प्रतिवेदन आयोग की बैठक में अनुमोदिन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।